



राजस्थान सरकार  
औषधि नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग,  
जयपुर।

क्रमांक-डीसी-1/ए-3/RTI- Genera(प्रथम अपील)/ 2015/


दिनांक

लोक सूचना अधिकारी,  
एवं सहायक औषधि नियंत्रक,  
जयपुर, अजमेर, कोटा, अलवर,  
सवाई माधोपुर, भरतपुर, सीकर,  
भीलवाडा, नागौर, झुंझुनू, दौसा  
टोंक, राजस्थान

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम-05 के तहत प्रथम  
अपीलीय अधिकारी मनोनीत करने बाबत।  
सन्दर्भ:- शासन उप सचिव, (समन्वय), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2)  
विभाग, का पत्र क्रमांक: प.38(20)चिकित्सा-2/समन्वय/2015  
जयपुर, दिनांक 06.11.15

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सन्दर्भित पत्र से प्रशासनिक विभाग के पूर्व समसंख्यक पत्र दिनांक 17.07.15 की निरन्तरता में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रबंध निदेशक (आर.एम.एस.सी.एल), निदेशक (आई0ई0सी0) एवं औषधि नियंत्रक, औषधि नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य भवन जयपुर को लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी मनोनीत किया गया है। जिसकी प्रति विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है, सुलभ सन्दर्भ हेतु पत्र की प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के सन्दर्भ में पत्र के साथ सलग्न कर भिजवाई जा रही है।

सलग्न:- उपरोक्तानुसार -एक छायाप्रति।


  
(अजय कुमार जैन)  
जन सूचना अधिकारी,  
प्रथम अपीलीय अधिकारी,  
एवं औषधि नियंत्रक  
राज0, जयपुर

क्रमांक-डीसी-1/ए-3/RTI- Genera(प्रथम अपील)/ 2015/660

दिनांक 24/11/2015

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. शासन उप सचिव, (समन्वय) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग को सन्दर्भित पत्र की पालना में सादर सूचनार्थ।
2. निदेशक, (जन0स्वा0) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज0 जयपुर को मय सन्दर्भित पत्र की प्रति के (सलग्न:- उपरोक्तानुसार-एक छायाप्रति)
3. औषधि नियंत्रक, द्वितीय, राज0 जयपुर को मय सन्दर्भित पत्र की प्रति के (सलग्न- उपरोक्तानुसार -एक छायाप्रति।)
4. प्रभारी सर्वर रूम निदेशालय को भेजकर लेख है कि उक्त मय सलग्न को विभाग की वेबसाईट पर डलवाने की व्यवस्था करावें।

  
(अजय कुमार जैन)  
जन सूचना अधिकारी,  
प्रथम अपीलीय अधिकारी,  
एवं औषधि नियंत्रक

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: प038(20)चिकित्सा-2/समन्वय/2015

प्रबंध निदेशक, (आर.एम.एस.सी.एल)  
स्वास्थ्य भवन, जयपुर।

निदेशक (आई.ई.सी.),  
स्वास्थ्य भवन, जयपुर।

औषधि नियंत्रक,  
औषधि नियंत्रण संगठन,  
स्वास्थ्य भवन जयपुर।

जयपुर, दिनांक 16-11-15  
कार्यालय  
औषधि नियंत्रक (राज.) जयपुर  
19 NOV 2015  
C-362  
क्रमांक

विषय:-सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी मनोनीत करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 17.07.2015 की निरन्तरता में सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रबंध निदेशक, (आर.एम.एस.सी.एल), निदेशक (आई.ई.सी.), एवं औषधि नियंत्रक, औषधि नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य भवन जयपुर को लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी मनोनीत किया जाता है।

भवदीय

शासन उप सचिव  
(समन्वय)

प्रतिलिपि: प्रभारी सर्वर रूम निदेशालय को, निर्देश दिये जाते हैं, कि इस आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।

अनुभागाधिकारी  
(आर.टी.आई.)

कृपया 'सूचना के अधिकार' में upload करें।

Somy  
17/11/2015